



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority Of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर
Office of Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur
डी-61, एच.आई.जी.-1, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैंड के पीछे, तिरु, बिलासपुर (छ.ग.)
D-61, HIG-1, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tiru, Bilaspur (C.G.) 495001

दूरभाष : 07752.291604
Phone : 07752-7291604
Email : piubilaspur@nhai.org
Email : piubilaspur@gmail.com
Web : www.nhai.gov.in



भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर

27011 / 7 / 2020 / प.नि.-बिला. / बिला.-उरगा / फॉरेस्ट / 6411
प्रति,

दिनांक: 09.09.2020

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल जांजगीर-चाम्पा,
जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

विषय:- बिलासपुर-उरगा भा.रा.रा.संख्या 130ए के अन्तर्गत प्रस्तावित कि.मी. 0.000 से कि.मी. 70.200 के अन्तर्गत प्रभावित राजस्व/वनभूमि हेतु व्ययपवर्तन प्रस्ताव के संबंध में।

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, का कार्यालयीन टीप नस्ती क्र./भू-प्रबंध/विविध/ 115-804 रायपुर दिनांक... 08.2020 (ऑनलाईन ई.डी.एस.)

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित क्र. के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यालयीन टीप नस्ती क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-804 रायपुर दिनांक08.2020 द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

बिन्दु क्र.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ द्वारा चाही गई वांछित जानकारी	भा.रा.रा.प्रा. का अभिमत/जवाब
1	प्रस्ताव में संलग्न डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट में प्रस्तावित क्षेत्र 47.781 हे. है। आवेदित क्षेत्र- 47.552 हे. का डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट संलग्न करें एवं संलग्न सी.डी. में आवेदित क्षेत्र/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का शेष फाईल नहीं है।	आवेदित क्षेत्र 47.552 हे. का डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट एवं आवेदित क्षेत्र/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का शेष फाईल इस कार्यालय के पत्र क्र. 6371, दिनांक 02.09.2020 के माध्यम से आपको प्रेषित किया जा चुका है। आपकी जानकारी हेतु पुनः संलग्न है।
2	Jangir-Champa Division From A Part-II के कालम नं. 4 (ii) (Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL) में Misc. Species कर एक साथ कुल 7938 कुल वृक्षों की संख्या अपलोड की है। जो सही नहीं है। बिलासपुर वनमण्डल द्वारा उक्त कॉलम में जैसी जानकारी दी गई है वैसी जानकारी Species-wise देवें। प्रेषित प्रस्ताव एवं आनलाईन के अतिरिक्त जानकारी में जांजगीर-चाम्पा/ बिलासपुर वनमण्डल द्वारा वृक्ष विदोहन का विवरण प्रपत्र अ एवं ब संलग्न एवं अपलोड नहीं किया गया है। अपलोड कराया जाना आवश्यक है।	उक्त वांछित जानकारी आपके कार्यालय से संबंधित है।
3	From A Part-II के कालम नं. 5 (Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :NA) का उल्लेख किया गया है Enclosed in CA scheme परन्तु उक्त बिन्दु के संबंध में कोई जानकारी CA scheme में संलग्न नहीं है। सुधार करें।	उपरोक्त चाही गई वांछित जानकारी वनमण्डलाधिकारी मरवाही से संबंधित है।
4	From A Part-II के कालम नं. 5 (Copy of NOC from Competent Authority) वनमण्डलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।	उक्त वांछित जानकारी इस कार्यालय के पत्र क्र. 6371, दिनांक 02.09.2020 के माध्यम से आपकी ओर प्रेषित किया जा चुका है। आपकी जानकारी हेतु पुनः संलग्न है।

5	From A Part-II के कालम नं. 8 (i) (Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : No wildlife present is the proposed in the proposed area.) परन्तु मुख्य वन संरक्षक के निरीक्षण प्रतिवेदन भाग-3 में वन्य प्राणी योजना का उल्लेख किया है। उक्त बिन्दु में आनलाईन सुधार करें।	उक्त वांछित जानकारी मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर से संबंधित है।
6	From A Part-II के कालम नं. 13 (Details of compensatory afforestation scheme) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु अपलोड के.एम.एल.फाईल में क्षेत्रफल पैच 1-21.851 हे, पैच 2- 39.101 हे. एवं पैच 3-34.038 हे. कुल 94.925 हे. हो रहा है। उक्त पैचों को सुधार कर पुनः अपलोड कराया जाना आवश्यक है।	उक्त वांछित जानकारी इस कार्यालय के पत्र क्र. 6371, दिनांक 02.09.2020 के माध्यम से आपकी ओर प्रेषित किया जा चुका है। आपकी जानकारी हेतु पुनः संलग्न है।
7	पैच 1-21.786 हे. पैच 2- 39.154 हे। पैच नं. 1 एवं 2 का घनत्व अत्यधिक दिख रहे हैं एवं पैच न 2 में अतिक्रमण दिख रहे हैं (जैसे-खेत)।	उपरोक्त चाही गई वांछित जानकारी वनमण्डलाधिकारी मरवाही से संबंधित है।
8	From A Part-II के कालम नं. 13 (iii एवं iv) वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित टोपोशीट एवं जियोरिफरेंस नक्शा में संरक्षित वन को उल्लेख किया गया है एवं CA scheme details में नारंगी वन उल्लेख किया है। स्पष्ट करें एवं सही जानकारी अपलोड अपलोड कराया जाना आवश्यक है।	उपरोक्त चाही गई वांछित जानकारी वनमण्डलाधिकारी मरवाही से संबंधित है।
9	अतिरिक्त जानकारी में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट अपलोड अपलोड कराया जाना आवश्यक है।	उक्त वांछित जानकारी इस कार्यालय के पत्र क्र. 6371, दिनांक 02.09.2020 के माध्यम से आपकी ओर प्रेषित किया जा चुका है। आपकी जानकारी हेतु पुनः संलग्न है।
10	From A Part-II के अतिरिक्त जानकारी में वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्राप्त सत्यापित वेजिटेशन मैप अपलोड अपलोड कराया जाना आवश्यक है।	उक्त वांछित जानकारी इस कार्यालय के पत्र क्र. 6371, दिनांक 02.09.2020 के माध्यम से आपकी ओर प्रेषित किया जा चुका है। आपकी जानकारी हेतु पुनः संलग्न है।
11	Janjgir-Champa Division Form A Part-II के कालम न. 15 (Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal officer highlighting important facts pertaining to the forest land.) में अपलोड प्रपत्र-3 का बिन्दु क्रमांक -7 वृक्ष विदोहन का विवरण का कॉलम है एवं उक्त प्रपत्र में आरक्षित वन एवं संरक्षित वन का क्षेत्रफल देवें तथा दिनांक एवं हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम भी लिखें। प्रपत्र-3 सुधार कर पुनः अपलोड अपलोड कराया जाना आवश्यक है।	उपरोक्त चाही गई वांछित जानकारी आपके कार्यालय से संबंधित है।

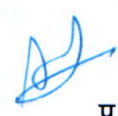
12	From A Part-II के कालम नं. 16 (Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal officer with (Part II, III & Part IV) में पार्ट-2 अपलोड नहीं किया गया है। अपलोड कराया जाना आवश्यक है।	उपरोक्त चाही गई वांछित जानकारी आपके कार्यालय से संबंधित है।
13	CCF Bilaspur द्वारा Form A Part-II के कालम नं. 16 (Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal officer with (Part II, III & Part IV) में पार्ट-3 अपलोड नहीं किया गया है। अपलोड कराया जाना आवश्यक है।	उक्त वांछित जानकारी मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर से संबंधित है।
14	कलेक्टर कार्यालय द्वारा एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट अपलोड नहीं है। अपलोड कराया जाना आवश्यक है। कमियों की पूर्ति हेतु ई.डी.एस किया जा रहा है। सुधार कर आनलाईन प्रेषित करें।	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Circular दिनांक 26 फरवरी 2019 के माध्यम से रेखीय परियोजनाओं के प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वांछित कलेक्टर व ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र Stage -I clearance हेतु आवश्यक नहीं हैं (MOEF Circular dated 24.02.2019) पुनः संलग्न।

अतः आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सधन्यवाद।

भवदीय

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


परियोजना निदेशक,
प.का.ई., बिलासपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, सेक्टर-19, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मैसर्स ट्रांसिंस कन्स. डी.पी.आर.सलाहकार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, अटल नगर, रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

कार्यालयीन टीप

वन विभाग

नस्ती क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-804/

रायपुर, दिनांक /08/2020

विषय:- Chhattisgarh, Lot-3 (Bilaspur -Urga Section)

Proposal No. : FP/CG/ROAD/34338/2018

User Agency Name: NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA PIU BILASPUR

Name of Project for which Forest Land is required : Chhattisgarh, Lot-3 (Bilaspur -Urga Section)

Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required: The proposed project pertains to Development of Development of Economic Corridor to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana, Bilaspur - Urga section of NH-130A (Raipur - Dhanbad Economic Corridor) which shall start at Junction with NH-130 & NH-130A, near Nehru

Category of the Proposal : Road

Shape of forest land proposed to be diverted : Linear

Area of forest land proposed for diversion(In ha.): 47.552

Non-forest land required for this project(In ha.): 480.046

Division Name: Bilaspur, Janjgir-Champa, Korba

1. प्रस्ताव में संलग्न डी.जी.पी.एस रिपोर्ट में प्रस्तावित क्षेत्र 47.781 हे. है। आवेदित क्षेत्र - 47.552 हे. का डी.जी.पी.एस रिपोर्ट संलग्न करें एवं संलग्न सी.डी. में आवेदित क्षेत्र / क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का शेप फाईल नहीं है।
2. Janjgir-Champa Division Form A Part-II के कालम न. 4 (ii) (Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL) में Misc. Species कर एक साथ कुल 7938 कुल वृक्षों की संख्या अपलोड की है। जो सही नहीं है। बिलासपुर वनमंडल द्वारा उक्त कॉलम में जैसी जानकारी दी गई है वैसी जानकारी Species-wise दें। प्रेषित प्रस्ताव एवं आनलाईन के अतिरिक्त जानकारी में जॉजगीर चोंपा / बिलासपुर वनमंडल द्वारा वृक्ष विदोहन का विवरण प्रपत्र अ एवं ब संलग्न एवं अपलोड नहीं किया गया है। अपलोड कराया जाना आवश्यक है।
3. Form A Part-II के कालम न. 5 (Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :NA) का उल्लेख किया गया है Enclosed in CA scheme परन्तु उक्त बिन्दु के संबंध में कोई जानकारी CA scheme में संलग्न नहीं है। सुधार करें।
4. Form A Part-II के कालम न. 5.(Copy of NOC from Competent Authority) वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।
5. Form A Part-II के कालम न. 8 (i) (Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : No Wildlife present in the Proposed area.) परन्तु मुख्य वन संरक्षक के निरीक्षण प्रतिवेदन भाग-3 में वन्य प्राणी योजना का उल्लेख किया है। उक्त बिन्दु में आनलाईन सुधार करें।



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, अटल नगर, रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

कार्यालयीन टीप

6. Form A Part-II के कालम न. 13 (Details of compensatory afforestation scheme) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु अपलोड के.एम.एल फाईल में क्षेत्रफल पैच 1 - 21.851 हे, पैच 2 - 39.154 हे एवं पैच 3 - 34.200 हे कुल 95.205 हे. जॉच में पाया गया कि पैच 1 - 21.786 हे, पैच 2 - 39.101 हे एवं पैच 3 - 34.038 हे कुल 94.925 हे. हो रहा है। उक्त पैचों को सुधार कर पुनः अपलोड अपलोड कराया जाना आवश्यक है।
7. पैच 1 - 21.786 हे, पैच 2 - 39.154 हे। पैच न. 1 एवं 2 का घनत्व अत्यधिक दिख रहे है एवं पैच न 2 में अतिक्रमण दिख रहे (जैसे -खेत)।
8. Form A Part-II के कालम न. 13 .(iii एवं iv) वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित टोपोशीट एवं जियोरिफरेंस नक्शा में संरक्षित वन को उल्लेख किया गया है एवं CA scheme details में नारंगी वन उल्लेख किया है। स्पष्ट करें एवं सही जानकारी अपलोड अपलोड कराया जाना आवश्यक है।
9. अतिरिक्त जानकारी में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित डी.जी.पी. एस. रिपोर्ट अपलोड अपलोड कराया जाना आवश्यक है।
10. Form A Part-II के अतिरिक्त जानकारी में वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्राप्त सत्यापित वेजिटेशन मैप अपलोड अपलोड कराया जाना आवश्यक है।
11. Janjgir-Champa Division Form A Part-II के कालम न. 15 (Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land.) में अपलोड प्रपत्र - 3 का बिन्दु क्रमांक - 7 वृक्ष विदोहन का विवरण का कॉलम है एवं उक्त प्रपत्र में आरक्षित वन एवं संरक्षित वन का क्षेत्रफल देवें तथा दिनांक एवं हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी का नाम भी लिखे। प्रपत्र-3 सुधार कर पुनः अपलोड अपलोड कराया जाना आवश्यक है।
12. Form A Part-II के कालम न. 16 (Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV)) में पार्ट-2 अपलोड नहीं किया गया है। अपलोड कराया जाना आवश्यक है।
13. CCF Bilaspur द्वारा Form A Part-II के कालम न. 16 (Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV)) में पार्ट-3 अपलोड नहीं किया गया है। अपलोड कराया जाना आवश्यक है।
14. कलेक्टर कार्यालय द्वारा एफ.आर.ए सर्टिफिकेट अपलोड नहीं है। अपलोड कराया जाना आवश्यक है। कमियों की पूर्ति हेतु ई.डी.एस किया जा रहा है। सुधार कर आनलाईन प्रेषित करें।

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(FC Division)

Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bagh Road, Aliganj
New Delhi-110003

Dated: 26th February, 2019

To,
The Principal Secretary/Secretary (Forests)
All States/UTs Governments

**Sub: Compliance of the Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers
(Recognition of Forest Rights) Act, 2006-regarding**

Sir,

I am directed to refer to Forest (Conservation) amendment Rules 2016 as amended on 06th March, 2017 wherein inter-alia it has been provided that:

(e) the District Collector shall

(i) complete the process of recognition and vesting of forest rights in accordance with the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) for the entire forest land indicated in the proposal.

(ii) obtain consent of each Gram Sabha having jurisdiction over the whole or a part of the forest land indicated in the proposal for the diversion of such forest land and compensatory and ameliorative measures, if any, having understood the purposes and details of diversion, wherever required; and

(iii) forward his findings in this regard to the Conservator of Forests

(f) the entire process referred to in clause (e) shall be completed by the District Collector within the time period stipulated in these rules for grant of in-principle approval under the Act to the proposal.

(g) the Conservator of Forests shall examine the factual details and feasibility of the proposal, carry out site inspection in case the area of forest land proposed to be diverted is more than forty hectares, and forward the proposal along with his recommendations to the Nodal Office.

I am also directed to refer to references/communications received from various State Governments seeking clarification on whether FRA certificate is to be submitted before Stage-II compliance or it has been submitted along-with proposal for seeking Stage-I approval.

It is clarified that within the time period stipulated for compliance of stage-I

condition, Deputy Commissioner shall complete the process of compliance of FRA (including forwarding its findings to the concerned CF). Hence for the purpose of the MoEF&CC, as per the provision under Forest (Conservation) amendment rules, 2016 the compliance under FRA is not required for consideration of in-principle approval. This has to be furnished by the state Govt. for consideration of the proposal by the ministry for final approval.

In view of the above, the State Governments are requested to adhere the provisions contained in Forest (Conservation) Amendment Rules, 2016 for FRA purpose while forwarding the proposal for seeking prior approval under Section 2 of Forest(Conservation) Act,1980 to this Ministry for consideration.

Yours faithfully,

(Shrawan Kumar Verma)
Dy. Inspector General of Forests

Copy to:

1. Prime Minister's Office
2. Secretary, Ministry of Mines, Government of India
3. Secretary, Ministry of Coal, Government of India
4. Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India
5. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments
6. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all State/ UT Governments
7. All Regional Offices, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), GoI.
8. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF&CC, GoI
9. All Assistant Inspector General of Forests/ Directors in the Forest Conservation Division, MoEF&CC, GoI/Director, ROHQ, MoEF&CC, GoI/TO(FC)/TO(ROHQ).
10. Sr. Director (Technical), NIC, MoEF&CC with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
11. Sr. PPS to the Secretary, MoEF&CC
12. Sr. PPS to the Director General of Forest & Special Secretary, MoEF&CC, GoI
13. Sr. PPS to the Addl. Director General of Forests (Forest Conservation), MoEF&CC, GoI.

Yours faithfully,

(Shrawan Kumar Verma)
Dy. Inspector General of Forests

O/C

WJ
13/3/19